कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
E-mail:-dfo-chatrasouth@gov.in Phone - 8987790213

पत्रांकः— 317 दिनांकः— 15/2/25

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषयः— चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0809 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक 90 दिनांक 01.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विषयक परियोजना पर 9 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। सभी पृच्छाओं का निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक— 2470 दिनांक— 21.12.2024 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की गई थी। निराकरण प्रतिवेदन भेजने के उपरांत अवलोकनोपरान्त पाया गया था कि विषयगत परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित 4 स्थल में एक महेशा का प्लॉट संख्या— 50, 53 एवं 4477 को पूर्व में दूसरे परियोजना आम्रपाली ओ0सी0पी0 (431.59) हे0 को दिया जा चुका था। दोनों परियोजना में CA हेतु चिन्हित एक स्थल का एक ही प्लॉट होने के कारण उसमे बदलाव करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक— 11 दिनांक— 02.01.2025 द्वारा परिवेश पोर्टल के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके आलोक में आपके द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव को वापस किया गया था। पुनः क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल महेशा के प्लॉट संख्या— 50, 53 एवं 4477 के स्थान पर 2451, 3765 एवं 4486 को चिन्हित करते हुए सभी स्थलो का 10 वर्षीय संशोधित प्राक्कलन, टोप्पो मैप एवं डी0जी0पी0एस0 मैप तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रस्ताव को ऑनलाईन समर्पित की गई थी। उक्त के आलोक में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से 5 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है जिसका निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

क्र0 सं0	पृच्छा	निराकरण
1	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपलोडेड दस वर्षीय प्राक्कलन में स्थलवार कितना पिलर निर्माण होगा एवं S.O.R. के तहत प्रति पिलर की दर से कितना राशि होगा उसे अंकित करते हुए संशोधित प्राक्कलन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा—1, करमा—2, महेशा एवं मंझौली का वर्तमान S.O.R. के अनुसार प्रति पिलर की दर से कुल राशि को प्राक्कलन में अंकित करते हुए 10 वर्षीय संशोधित प्राक्कलन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड है जिसमें 03 पैच में	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा—1, करमा—2, महेशा एवं मंझौली का डी0जी0पी0एस0 मैप में पैचवार एवं क्रमवार

	वनरोपण कार्य किया जायेगा, परन्तु नक्शा पर एक पैच में ही पिलर दर्शाया हुआ है। इसमें पैचवार पिलर को क्रमवार दर्शाते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी डीजीपीएस0 मैप अपलोड करे।	पिलरों को दर्शाते हुए संशोधित डी0जी0पी0एस0 मैप परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
3	ऑनलाईन पार्ट II में मात्र महेशा ग्राम का टोप्पो मैप अपलोड है। इस प्रकार दो ग्राम क्रमशः मंझौली एवं करमा का भी टोप्पो मैप पर दर्शाते हुए अपलोड करे।	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित सभी 4 स्थल करमा–1, करमा–2, महेशा एवं मंझौली को टोप्पो मैप पर दर्शाते हुए सभी का टोप्पो मैप परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
4	पार्ट II के Additional information में ऑनलाईन पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड नहीं है।	पार्ट II के Additional information में ऑनलाईन पार्ट II की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दिया गया है।
5	पार्ट II के Additional information में Tree Enumeration summary upload है जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है।	Tree Enumeration summary में अधोहस्ताक्षरी के नाम के साथ हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित करते हुए पार्ट II के Additional information में अपलोड कर दिया गया है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।
15/02/2025